भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 765
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

दुर्घटनाग्रस्त विमान

765. श्री शफी परम्बिल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में चल रही जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या जांच दल ने उक्त दुर्घटना के सटीक कारणों की पहचान कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी दुःखद घटनाओं से बचने के लिए उड़ानों के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2025 के अनुसार वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा अहमदाबाद में एअर इंडिया उड़ान एआई-171 की दुर्घटना का अन्वेषण किया जा रहा है। अन्वेषण प्रगति पर है।

एएआईबी द्वारा दिनांक 12.07.2025 को दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यह रिपोर्ट उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में उस समय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथ्यात्मक जानकारी निहित है। दुर्घटना के सभी संभावित कारणों का अन्वेषण किया जा रहा है। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अंतिम अन्वेषण रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।
(ग): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) - भारत के पास विमानन सुरक्षा के संवर्धन हेतु एक मजबूत तंत्र उपलब्ध है और वह सुरक्षित परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर निम्नलिखित कदम उठाता है:

(i) डीजीसीए के पास सभी विमानों और हवाईअड्डा प्रचालकों को शामिल करते हुए नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी हेतु एक व्यवस्थित संरक्षा निरीक्षण तंत्र उपलब्ध है। संरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया में निगरानी, स्पॉट चेक और विनियामक संपरीक्षा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संभावित जोखिम के अनुसार विशेष संपरीक्षाएं भी की जाती हैं।

(ii) डीजीसीए अपनी वेबसाइट पर वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) प्रकाशित करता है। एएसपी के अनुसार प्रत्येक निदेशालय अपने संबंधित तकनीकी क्षेत्रों में निगरानी/स्पॉट चेक

आयोजित करता है। लेखापरीक्षा, निगरानियों और स्पॉट चेक के निष्कर्षों के विषय में संबंधित प्रचालक द्वारा किए गए अनुपालन पर चर्चा की जाती है। उचित सत्यापन के पश्चात टिप्पणियों को बंद कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, अगली संपरीक्षा/निगरानी के दौरान प्रचालक द्वारा की गई कार्रवाई का अनुपालन सत्यापित किया जाता है। संपरीक्षा/निगरानी के दौरान पाए गए विनियमों के किसी भी उल्लंघन/गैर-अनुपालन के मामले में डीजीसीए द्वारा वित्तीय जुर्माना सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

(iii): डीजीसीए ने "विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का आंकलन करने और विमानन संरक्षा आर्किटेक्चर को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक विशेष लेखापरीक्षा" के संबंध में 01/2025 परिपत्र भी जारी किया है।

*****